

मध्य प्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन,

//आदेश//

भोपाल, दिनांक ०१/०५/२०१८

कमांक एफ-१(बी)४०/२०१७/बी-४/दोः राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति
निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से ०२ वर्ष की परिवीक्षा पर सहायक
जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर वेतन मेट्रिक्स के लेबल-०९ (रूपये
३६,२००-११४,८००/-) में नियुक्त कर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये रथान पर पदरथ करता है।

कमांक	लोक सेवा आयोग की चयन सूची कमांक	उम्मीदवार का नाम	पदरथापना का स्थान
१	२	३	४
१.	५	सुश्री सपना दुबे अनारक्षित	विदिशा
२.	१२९	सुश्री चित्रांशी मौर्य, अजा	मुरैना
३.	२२५	श्री जगमोहन सिंह, अजजा	पन्ना
४.	२३१	कु० सीनू वर्मा, अजजा	सीधी
५.	२३२	श्री सुरेश कुमार नरगावे, अजाज	शाजापुर
६.	२५०	श्री मुकेश कुमार कोल, दिव्यांग अजाज	शहडोल
७.	२०३	श्रीमती रेखा मांझी, अजजा	सागर
८.	१८३	श्री योगेश कुमार गर्ग, अजा	जबलपुर

२/- सरल कमांक-४ पर अंकित अभ्यर्थी श्री मुकेश कुमार कौल (दिव्यांग) का नियुक्ति

आदेश रिट पिटीशन कमांक १८४८५/२०१७ में पारित होने वाले निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

३/- निःशक्तजन उम्मीदवारों के निःशक्तता प्रमाण पत्र का सत्यापन जिला गोड़कल वाले से कराने के उपरांत उप संचालक, अभियोजन / जिला अभियोजन अधिकारी जिले के कलेक्टर के माध्यम से समन्वय कर ज्वाईन कराएंगे।

४/- नियुक्त अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में निर्धारित समस्त प्रशिक्षण राफलतापूर्वक पूर्ण करना होगा।

५/- नियुक्त अधिकारी की परिवीक्षा रथाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि से संबंधित प्रकरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम १९६१, म.प्र. लोक अभियोजन

(राजपत्रित) सेवा भरती नियम 1991 तथा शासन द्वारा रामय-समय पर जारी निर्देशों के अंतर्गत शासित होगे।

6/- नियुक्त अधिकारियों की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग रो जारी सूची के कानूनासार निर्धारित होगी।

7/- नियुक्त अधिकारी की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण चलाये रामाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना अनावश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन तथा भत्ते जो उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, उनमें जागा करना होगा, अन्यथा उक्त रकम राजरव की प्रकाश की भौति उनसे वसूल की जावेगी।

8/- नवनियुक्त अधिकारी पर परिभाषित अंशदान पेशन योजना 2005 के प्रावधान लागू होगे।


9/- नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य/गलत पाई जाने पर सेवाएं बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

10/- नियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय/अद्व शासकीय सेवारत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अंगापत्ति प्रमाण पत्र, अजांच एवं अमांग प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

11/- अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे नियुक्ति के संबंध में अपनी योग्यता एवं अपने प्रमाण पत्र तथा निःशक्तजन उम्मीदवार की स्थिति में निशक्तता प्रमाण पत्र की मूल प्रति संबंधित जिले के जिला अभियोजन अधिकारी को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करें।

12/- प्रमाणित किया जाता है कि म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछले वर्ग को आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक, सन 1994) उपबंधों को और उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) अधिनियम की धारा-6 की उप धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण राखा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(डीओएसओ मुकाती)

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग

// 3 //

पूर्कोफ-1(वी) 40/2017/बी-4/दो

भोपाल, दिनांक ११/०५/ 2018

प्रतिलिपि :- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

1. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर, की ओर उनके पत्र क्रमांक 3392/51/2016/चयन, इंदौर, दिनांक 29 मई 2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
2. संचालक, लोक अभियोजन, मध्यप्रदेश।
3. मुहालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
4. संबंधित कलेक्टर/पुलिस अधिकारी - द्वारा संचालक, लोक अभियोजन, म.प्र.
5. संबंधित कोषालय अधिकारी, - द्वारा संचालक, लोक अभियोजन, म.प्र.
6. निज सचिव, मान. मंत्रीजी, गृह विभाग।
7. रसाफ आफिरार, अपर मुख्य सचिव, गृह।
8. निज सचिव, सचिव, गृह।
9. संबंधित उप संचालक, अभियोजन, - द्वारा संचालक, लोक अभियोजन, म.प्र.
10. संबंधित जिला लोक अभियोजन अधिकारी - द्वारा संचालक, लोक अभियोजन, म.प्र. द्वारा उपर्युक्त अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके मूल नियुक्ति आदेश, शैक्षणिक योग्यता, जाति- प्रमाण एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवक होने की रिधति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र आदि संबंधी मूल अभिलेख की जाँच कर ले रथा कार्यभार ग्रहण करने की सूचना इस विभाग को दे।
11. संबंधित श्री/ श्रीमती/ कुमारी.....

उपर्युक्त उम्मीदवारों को निर्देशित किया जाता है कि वे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर पदरक्षापना रथान पर आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की समयावधि में मूल अभिलेखों के राथ निश्चित रूप से कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपरिथित हो, अन्यथा नियुक्ति निरस्त मानी जावेगी।


अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग